मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2014 (23 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 114 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 112 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार --

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की रतलाम जिले में पेट्रोल पम्पों द्वारा नकली पेट्रोल बेचे जाने,

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के बुंदेलखण्ड मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में इंजेक्शन न होने,

(3) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के ग्राम पोखरनी में किसानों के भू-अभिलेख में गड़बड़ी की जाने,

(4) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की रीवा जिले के अनेक गांव बाणसागर सिंचाई योजना से वंचित होने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में फीडर सैपरेशन का कार्य धीमा होने,

(6) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में ओलावृष्टि से नष्ट फसल की नुकसानी सर्वे में अनियमितता की जाने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में किसानों के गेहूं खरीदी का भुगतान न होने,

(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम नवेगांव मकरिया से सीतापार के बायपास हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(9) श्री नारायण त्रिपाठी,सदस्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को फीडिंग न होने से खाद्यान्न प्राप्त न होने तथा

(10) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद जिले के पिपरिया में लगानी भूमि पर मकान बनाने हेतु डायवर्शन किये जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखा.

(2) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, वर्ष 2011-12 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखीं.

(श्री रामनिवास रावत सहित इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, कृषि मंत्री संबंधी न्यायालयीन प्रकरण होने की बात कहने पर, आसंदी द्वारा नियम प्रक्रिया के अनुसार सूचना नहीं होने के कारण अनुमति प्रदान नहीं की गई. इसके विरोध स्वरूप, कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर वे पुन: अपने-अपने स्थानों पर गये.)

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(कार्यवाही में पुन: व्यवधान उत्पन्न होने पर 11.48 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनिट के लिए स्थगित की जाकर 11.56 बजे पुन: समवेत हुई. तत्पश्चात् सर्वश्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, कृषि मंत्री द्वारा संक्षिप्त मत व्यक्त किया गया.)

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य ने इंदौर शहर में एक्सपायर्ड वाहनों से प्रदूषण फैलने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(2) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(3) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(4) श्री नारायण सिंह पंवार(जिला-राजगढ़)
(5) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(6) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(7) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(8) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(9) श्रीमती अनीता सुनील नायक (जिला-टीकमगढ़)
(10) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(11) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मंदसौर)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, कृषि मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच शुरू होने के कारण विरोधस्वरूप, उनसे संबंधित मांगों का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया).

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

7. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

8. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री की मांगों पर दिनांक 11 जुलाई, 2014 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(3) श्री रमाकांत तिवारी
(4) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

(5) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(6) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(7) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(8) श्रीमती शीला त्यागी
(9) श्री राजेन्द्र पाण्डेय

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

(10) श्री इन्दर सिंह परमार
(11) श्री लखन पटेल
(12) श्री दिलीप सिंह परिहार
(13) श्री सूबेदार सिंह रजौधा

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए दो हजार सड़सठ करोड़, पच्चीस लाख, इक्कीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(4) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री कमलेश्वर पटेल
(7) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(8) श्रीमती झूमा सोलंकी
(9) श्री वैल सिंह भूरिया

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(10) श्रीमती ऊषा चौधरी
(11) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडव्होकेट)
(12) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(13) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'

कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 44	उच्च शिक्षा के लिए एक हजार दो सौ उनपचास करोड़, आठ लाख, बारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए पांच सौ पांच करोड़, सत्तर लाख, इकहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बारह करोड़, पचपन लाख रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(5) श्री कमलेश्वर पटेल
(6) श्री मुरलीधर पाटीदार
(7) श्री रामलल्लू वैश्य
(8) श्रीमती ऊषा चौधरी
(9) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(10) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'
(11) श्री इन्दर सिंह परमार
(12) श्री अरूण भीमावद
(13) श्री हरदीप सिंह डंग
(14) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(16) श्री मधु भगत
(17) श्रीमती सरस्वती सिंह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपरान्ह 7.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2014 (25 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 14 जुलाई, 2014